न्यायालयः–विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 सबलगढ़ जिला मुरैना म.प्र.

जमानत आवेदन क्रमांक–323 / 2022
सी.एन.आर.नंबर–एमपी06070026982022
सत्य प्रतिलिपि आदेश पत्रिका दिनांक–17.10.2022

भोलू जोशी पुत्र शिवनारायण जोशी, आयु–23 वर्ष, निवासी–एम.डी.एस. वार्ड क्रमांक 07, कैलारस थाना व तहसील कैलारस जिला मुरैना
––आवेदक

विरूद्ध

शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र कैलारस
––अनावेदक

–––

आवेदक भोलू जोशी की ओर से अधिवक्ता श्री सुगंध शर्मा उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री प्रेमप्रकाश ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

आपत्तिकर्ता की ओर से श्री सियाराम कुशवाह अधिवक्ता उपस्थित।

आरक्षी केन्द्र सबलगढ़ से अपराध क्रमांक 317 / 2022 अंतर्गत धारा 363 इजाफा धारा 376(2)(एन), 506 भा.द.सं. व 3 / 4 पॉक्सो अधिनियम की केस डायरी प्राप्त।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पर उभयपक्ष को सुना गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि इस प्रकरण में आवेदक दिनांक 31.08.2022 से न्यायिक निरोध में है।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि उसका यह प्रथम जमानत आवेदन है, इसके अलावा अन्य कोई आवेदन किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही विचाराधीन है और ना ही निरस्त हुआ है। इस बावत् शिवनारायण जोशी पुत्र दुर्गा जोशी, आयु–58 वर्ष, निवासी–एम.डी.एस. वार्ड क्रमांक 07 कैलारस थाना व

तहसील कैलारस जिला मुरैना म.प्र. का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक को असत्य जानकारी एवं तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना कैलारस द्वारा आवेदक को घर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आवेदक का उपरोक्त अपराध से कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है, उसे झूंठा फंसाया गया है। आवेदक निर्दोष है, वह न्यायिक अभिरक्षा में सबजेल सबलगढ में बंदी है। आवेदक द्वारा फरियादिया के साथ किसी प्रकार का कोई अपराध घटित नही किया गया है। आवेदक की पूर्व में फरियादिया के परिवारीजन से रंजिश चली आ रही है, जिस कारण फरियादिया ने पुलिस थाना कैलारस से सांठ गांठ कर आवेदक के विरूद्ध मिथ्या अपराध पंजीबद्ध कराया है। आवेदक निर्दोष है, कथित अपराध से आवेदक का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रकरण के निराकरण में अधिक समय लगने की संभावना है। उक्त आधार पर आवेदक को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

आपत्तिकर्ता व अभियोजन की ओर से आवेदन का विरोध इस आधार पर किया गया है कि आवेदक के विरूद्ध गंभीर आरोप है। अतः आवेदन निरस्त किया जाये।

अभियोजन के मामले के अनुसार फरियादी ने आरक्षी केन्द्र कैलारस पर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 30.07.2022 को वह अपनी बाल काटने की दुकान पर चला गया था। उसके घर पर उसकी पत्नि एवं लड़की थी। उसकी पत्नि ने शाम 05:00 बजे उसे फोन से बताया कि लड़की आयु 16 वर्ष दिन के 12:00 बजे घर से बिना बताये कहीं चली गई है, अभी तक नहीं आई है तब वह दुकान से घर पर आया फिर इधर–उधर एवं रिश्तेदारियों में लड़की अभियोक्त्री की तलाश करता रहा कोई पता नहीं चला। उसकी लड़की को कोई बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर से थाना कैलारस पर अपराध क्रमांक 317/2022 अंतर्गत धारा 363 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान दिनांक 04.08.2022 को अभियोक्त्री के दस्तयाब होने पर उससे पूछताछ करने पर अभियोक्त्री द्वारा अपने पुलिस कथन में आरोपी भोलू जोशी द्वारा उसे बहला फुसलाकर ले जाना व उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध गलत काम बलात्कार करना बताने पर पुलिस थाना कैलारस द्वारा धारा

376(2)(एन), 506 भा.द.सं. व 3/4 पॉक्सो अधिनियम का इजाफा किया गया।

उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी के द्वारा अज्ञात में दर्ज कराई गई। अभियोक्त्री के पुलिस कथन, कथन अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं., अभियोक्त्री के मेडीकल परीक्षण एवं पत्रावली पर उपस्थित संपूर्ण सामग्री से प्रथम दृष्टया यह दर्शित नहीं होता है कि आवेदक की कथित कारित अपराध में कोई भागीदारी न हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक प्रकरण का मुख्य अभियुक्त है। अभियोक्त्री प्रथम दृष्टया नाबालिग है। प्रकरण में एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो तथ्य उठाये है, वे सब साक्ष्य का विषय है। अतः प्रकरण की समस्त परिस्थितियों, कथित कारित अपराध में आवेदक की भागीदारी व उससे समाज में पडने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

तदनुसार प्रकरण के गुण दोषों पर टिप्पणी किये बिना आवेदक भोलू जोशी की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति केस डायरी में संलग्न कर केस डायरी वापिस की जावे।

प्रकरण परिणाम सी.आई.एस. में दर्ज किया जावे।

सही/–
(उपेन्द्र देशवाल)
विशेष न्यायाधीश लैगिंक अपराधों से
बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
सबलगढ़, जिला मुरैना, म0प्र0

प्रतिलिपि :–

1– थाना प्रभारी कैलारस की ओर केस डायरी के साथ प्रेषित।

(उपेन्द्र देशवाल)
विशेष न्यायाधीश लैगिंक अपराधों से
बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
सबलगढ़, जिला मुरैना, म0प्र0